प्र.सं. 89/2024 जीसीएमएस नं. 2024/192 अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट
आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड बनाम दरिया सिंह आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
28.11.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति प्रार्थी कम्पनी के पास बंधक रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि भुगतान का व्यतिक्रम करने पर अप्रार्थीगण के खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए) के रूप में वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत साठ दिवस का नोटिस जरिए रजि. डाक प्रेषित किया गया, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। ऋणि द्वारा धारा 13(2) के नोटिस पर कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया हैं ना ही बकाया राशि का भुगतान किया हैं। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी कम्पनी के पास बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को पुलिस सहायता से दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा रजि. रसीदें एवं रजि. डाक के ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा धारा 14 के आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु के प्रति समाधान हो जाने के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करनी होती हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थीगण दरिया सिंह व सतपाल सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी सम्पत्ति क्रमशः पट्टा सं. 8 व 9, चक 11 एसजेएम, ग्राम पंचायत 7 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाए जाने हेतु निवेदन किया गया है। परन्तु प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी दरिया सिंह के द्वारा ऋण की सुरक्षा में बंधक रखी सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में उक्त पट्टा सं. 8 बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 28.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (अवधेश मीना) जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)